

प्रेस नोट दि0-16.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अवैध 01 अदद देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी व बस्ती में पॉक्सो, धोखाधड़ी, आबकारी अधिनियम, आईटी व आर्म्स एक्ट जैसे 08 अभियोग हैं पंजीकृत

अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत धौरहरा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार अंचल मय हमराह हे0का0 पवन नायक, हे0का0 जितेन्द्र कुशवाहा, का0 लालबहादुर, का0 राकेश सरोज द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 16.07.2025 को अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त अतुल सरोज उर्फ सोनू पुत्र कुंवर बहादुर निवासी ढाढ़र थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत धौरहरा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। प्रयुक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा-207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

अभियुक्त के पास से अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 210/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.अतुल सरोज उर्फ सोनू पुत्र कुंवर बहादुर निवासी ढाढ़र थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

अभियुक्त अतुल सरोज उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-157/17 धारा 354/323/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-24/20 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0-42/20 धारा 420 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0-33/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0-34/19 धारा 66बी आई0टी0 एक्ट थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-211/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0-159/16 धारा 411/419/420 भादवि व 66 आई. टी. एक्ट थाना पी.जी.आई. जनपद लखनऊ।
8. मु0अ0सं0- 210/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० अजय कुमार अंचल मय हमराह हे०का० पवन नायक, हे०का० जितेन्द्र कुशवाहा, का० लालबहादुर, का० राकेश सरोज थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी राहुल सिंह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना लीलापुर के बीट आरक्षी राहुल सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट आरक्षी राहुल सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लीलापुर के बीट आरक्षी राहुल सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत अजगरा रानीगंज बैंक आफ बड़ौदा के पास से गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त पर चोरी, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी राहुल सिंह के सहयोग से थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं०- 137/2025 धारा 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त इमरान हाशमी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी अजगरा रानीगंज थाना-लीलापुर, प्रतापगढ़ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत अजगरा रानीगंज बैंक आफ बड़ौदा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इमरान हाशमी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी अजगरा रानीगंज थाना-लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष ।

अभियुक्त इमरान हाशमी पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी अजगरा रानीगंज थाना-लीलापुर, प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 44/2025 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 45/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 137/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ ।
4. मु०अ०सं० 94/2025 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।
5. मु०अ०सं० 96/2025 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।
6. मु०अ०सं० 97/2025 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ ।
7. मु०अ०सं० 34/2025 धारा 303(2), 61(2) बीएनएस थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ०नि० इंदरीश खान मय हमराह का राहुल सिंह थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 05 अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी को किया गया बरामद

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नौहर हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना दिलीपपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौहर हुसैनपुर में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डा, कुल्हाड़ी लेकर वादिनी के पति को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमला करना, धमकी व घर पर रखे सामान को तोड़-फोड़ देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 123/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस बनाम 06 नामजद व अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शुत्रुघन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक यादव, म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0का0 श्रद्धा त्रिपाठी, का0सुनील पटेल, का0 राजेश कुमार, का0 निर्दोश द्वारा दिनांक 16.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग, विवचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 123/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस से संबंधित 05 वांछित अभियुक्तों, 1.सन्तोष सिंह पुत्र सहदेव सिंह, 2.संदीप सिंह पुत्र रामकिशोर सिंह, व 03 अभियुक्ता, निवासीगण ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम नौहर हुसैनपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सन्तोष सिंह पुत्र सहदेव सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. संदीप सिंह पुत्र रामकिशोर सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. 03 अभियुक्ता।

बरामदगी विवरण- घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक यादव, म0उ0नि0 सारिका मय हमराह म0का0 श्रद्धा त्रिपाठी, का0सुनील पटेल, का0 राजेश कुमार, का0 निर्दोश थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गाली गलौज व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय के नेतृत्व में उ०नि० विजय कुमार यादव मय हमराह का० अभिनव नारायण सिंह, का० लालजी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग व मुखबिर की सूचना के दौरान थाना पट्टी में पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत धारा 69/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त कौशलदीप यादव पुत्र स्व० सूबेदार यादव निवासी ग्राम भदेवरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र पट्टी के भरोखन नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कौशलदीप यादव पुत्र स्व० सूबेदार यादव निवासी ग्राम भदेवरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० विजय कुमार यादव मय हमराह का० अभिनव नारायण सिंह, का० लालजी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईंट अट्टा को किया गया बरामद

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत के अवसानगंज की तरफ जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.07.2025 को समय रात्रि लगभग 12.00 बजे वादी बनारस से आम बेचकर अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही वादी भरतगढ़ के पास पहुंचा। आरोपीगण द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी के सर पर ईंट पत्थर से मार दिया। जिससे वादी के सर पर काफी चोट आयी है। जब वादी ने शोर मचाया तो विपक्षी ने गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना संग्रामगढ़ में मु०अ०सं० 129/25 धारा 109(1), 115(2), 352, 351 (3), 125 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना संग्रामगढ़ प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ०नि० प्रशांत कटियार मय हमराह का० कुलदीप यादव, का० शिवा तिवारी द्वारा दिनांक 16.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 129/25 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 01.कल्लू सोनकर उर्फ विपिन कुमार सोनकर पुत्र झल्लर सोनकर निवासी भरतगढ़ थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के अवसानगंज की तरफ जाने वाली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईंट अट्टा को राजकुमार पुत्र बोधी पाल के आम के बाग से बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त घटना में प्रयुक्त ईंट अट्टा को वापस घर आते समय वहीं पास में राजकुमार पुत्र बोधी पाल के आम के बाग में फेंक दिया था मैं चलकर दिखा सकता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कल्लू सोनकर उर्फ विपिन कुमार सोनकर पुत्र झल्लर सोनकर निवासी भरतगढ़ थाना- संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी विवरण- घटना में प्रयुक्त 01 अदद ईंट अट्टा बरामद ।

पुलिस टीम- उ0नि0 प्रशांत कटियार मय हमराह का0 कुलदीप यादव, का0 शिवा तिवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कल्याणपुर तिराहा से बकुलाही नदी कटरा गुलाब सिंह मार्ग से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में दिनांक-03.07.2025 को अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष यादव के नेतृत्व में उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह हे0का0 मनीष कुमार, का0 अमित यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग/ विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87 बीएनएस व 11/12 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अमित पुत्र ईश्वरदास निवासी ग्राम राजापुर थाना कैट जनपद प्रयागराज को थानाक्षेत्र अन्तर्गत कल्याणपुर तिराहा से बकुलाही नदी कटरा गुलाब सिंह मार्ग से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर धारा-87 बीएनएस व 11/12 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अमित पुत्र ईश्वरदास निवासी ग्राम राजापुर थाना कैट जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह हे0का0 मनीष कुमार, का0 अमित यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अवैध 01 अदद देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर तिहाई से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 सुमित शर्मा, कां0 यतेन्द्र चौधरी, कां0 श्रीचंद द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, दिनांक 16.07.2025 को अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त सुमित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर तिहाई से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त के पास से अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0स0- 264/25 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुमित सरोज पुत्र राजेन्द्र सरोज निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

01. मु.अ.सं. 46/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु.अ.सं. 264/25 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

अवैध 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह कां0 सुमित शर्मा, कां0 यतेन्द्र चौधरी, कां0 श्रीचंद थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० प्रदीप यादव, का० चन्दन यादव, का० योगेन्द्र यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान केस न० 1123/22 धारा 128 सीआरपीसी से संबंधित एक नफर वारण्टी मो० वसीम पुत्र फैज उल्ला निवासी ग्राम बुढौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को बुढौरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.मो० वसीम पुत्र फैज उल्ला निवासी ग्राम बुढौरा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० प्रदीप यादव, का० चन्दन यादव, का० योगेन्द्र यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ०नि० लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह हे०का० ऊधम सिंह, का० पंकज कुमार यादव के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान एसटी नं० 755/2017 अ०सं० 130/17 धारा 323/504/506/324/325 भादवि व 3 (1) XSC/ST एक्ट से संबंधित एक नफर वारण्टी जीतलाल वर्मा पुत्र नन्दलाल निवासी पहाडा मुरार पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.जीतलाल वर्मा पुत्र नन्दलाल निवासी पहाडा मुरार पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह हे०का० ऊधम सिंह, का० पंकज कुमार यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।